न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 09/2022

जीसीएमएस : 2022/492

1. रेशी उर्फ छोटी धर्म पत्नी श्री मनीराम पुत्री श्री उदाराम माता नाम सोनीदेवी जाति मेघवाल साकिन सरदारपुरा बीका तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ राज.। (मृतक)

1/1. बीरबलराम
1/2. दारका दास } पुत्रगण श्री मनीराम जाति मेघवाल साकिन 6 एन.जेड. पी. तहसील रायसिंहनगर।

1/3. इन्द्रादेवी पुत्री मनीराम पत्नी श्री औमप्रकाश
1/4. निर्मला देवी पुत्री मनीराम पत्नी श्री बनवारीलाल } जाति मेघवाल सकिन सरदारपुरा (पंजाब) तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।

1/5. गीतादेवी पुत्री मनीराम पत्नी श्री रणजीत जाति मेघवाल साकिन सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

1/6. इन्द्राज पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवाल साकिन 6 एनजेडपी (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ(मृतक)

1/6/1. इन्द्रादेवी पत्नी श्री इन्द्राज
1/6/2. राजवीर
1/6/3. जगदीश

–अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. राणाराम
2. पपुराम
3. रामकुमार
4. सेठाराम

} पुत्रगण श्री हेतराम जाति मेघवाल साकिन महिराजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

5. सोमादेवी
6. लीलादेवी
7. भालीदेवी
8. रामेश्वरी देवी
9. रामशनेही
10. छिन्दादेवी

} पुत्रीयान हेतराम जाति मेघवाल साकिन महिराजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

11. कलावती धर्म पत्नी श्री नानूराम
12. महीराम
13. भादरराम
14. पटेल

} पुत्रगण श्री नानूराम जाति मेघवाल मेहराजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब

15. सावित्री देवी
16. सुमित्रादेवी
17. सुमन
18. मायादेवी
19. गोगादेवी

} पुत्रीयान श्री मन... तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब

20. ग्राम पंचायत बाजुवाला जरिये ...
21. ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका ... सरदारपुराबीका।
22. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट</u>

रजू दिनांक 14.09.2022

उपस्थिति :–

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:31:48 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

1.श्री आर. आर. औझा ,अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री रविन्द्र कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 14।

–: निर्णय :–

दिनांक : 27.06.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने अपील मय प्रार्थना पत्र धारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी की माता श्रीमति सोनीदेवी धर्म पत्नी श्री उदाराम जाति मेघवाल साकिन सरदारपुराबीका को चक 6 एन.जैड. पी. के पंनं. 215/364 के मु.नं. 12 में 6.009 है. व चक 18 एसएडी के पं.नं. 210/354 के मु.नं. 31 के 1.645 है. भूमि स्थाई आवंटन हुई। सोना देवी का देहान्त हो जाने के पश्चात उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल ग्राम पंचायत बाजुवाला व सरदारपुराबीका द्वारा अपीलार्थी व रेस्पोडेट संख्या 1 से 10 के पिता हेतराम व 11 के पति व 12 से 19 के पिता श्री नानूराम के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज कर दिया। जो निरस्त किये जाने योग्य है दोनों इन्तकालं विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विरूद्व होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चक 18 एसएडी व 6 एनजैडपी दोनों चकों की भूमि सोनादेवी के नाम से थी। इसलिए दो पंचायत द्वारा इन्तकाल किया गया है। दोनों पंचायतों की कृषि भूमि के पक्षकार एक ही है। इसलिए दोनों पंचायतों के विरूद्व एक ही अपील पेश की जा रही हैं। सोनादेवी ने पहले हेमाराम जाति मेघवाल साकिन महिराजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का के साथ हुई थी। सोनादेवी अपने पूर्व पत्नी हेमाराम को छोड़ कर दूसरी शादी उदाराम पुत्र श्री जाति मेधववाल साकिन सरदारपुरा बीका तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के साथ कर ली और राजस्थान में निवास करने लगे गई। सोनादेवी के उदाराम के सहवास से एक लड़की रेशी उर्फ छोटी अपीलार्थी पैदा हुई। इस प्रकार सोनादेवी धर्म पत्नी उदाराम की मात्र एक सन्तान रेशीदेवी ही है। सोनादेवी धर्म पत्नी उदाराम जाति मेधववाल साकिन सरदारपुरा बीका के नाम से चक 6 एनजैडपी के पं.नं. 215/364 के मुं.नं. 12 के 6.009 है. व चक 18 एसएडी के पं.नं. 210/354 के मु.नं. 31 के 1.645 है. भूमि स्थाई आवंटन हुई। सोनीदेवी का देहान्त दिनांक 18.05.1993 को हो गया है सोना देवी के देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि की सारी किस्ते खजाना राज में अपीलार्थी द्वारा ही जमा करवाई गई है। उक्त भूमि उदाराम के कब्जा काश्त में थी उदाराम के देहान्त होने के उपरान्त यह भूमि उदाराम की धर्म पत्नी सोनादेवी की हो गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 के पिता हेतराम व 11 का पति 12 से 19 के पिता श्री नानूराम बहुत चतुर चालाक होने के वजह से इन्होने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके सोनादेवी के देहावसन के बाद सोनादेवी की उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल रेशीदेवी अपीलार्थी हेतराम व नानूराम के नाम व बहिस्सा बराबर करवा लिया जो गलत है। इन्तकाल दिनांक 15.02.1996 को हुआ है परन्तु विवादित भूमि पर कब्जा आज भी अपीलार्थी का है। अपीलार्थी ने ही उक्त भूमि की किस्त खजाना राज में दिनांक 12.06.2012 को जमा करवाई है ग्राम पंचायत ने अपीलार्थी को सूचना नहीं दी ना ही अपीलार्थी को कोई ज्ञान था। ग्राम पंचायत ने कब्जा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं ली इसलिए भी अपील निरस्त किये जाने योग्य है पटवारी हल्का से अपीलार्थी को ज्ञान हुआ कि विवादित भूमि का इन्तकाल अपीलार्थी व हेतराम तथा नानूराम के नाम से दर्ज हो चुका है जिसकी नकल दिनांक 07.09.2022 व 08.09.2022 को प्राप्त कर बिना किसी देरी के यह अपील पेश कर दी है दफा 5 मियाद अधिक का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 10 के पिता हेतराम व रेस्पोडेन्ट नं. 1[illegible] 12 ता 19 के पिता नानूराम के पिता का नाम हेमाराम है। इसलिए यह दोनों सोना[illegible] पत्नी उदाराम की सम्पति किसी प्रकार का हक नही रख[illegible] विरूद्व अपील सुनने का श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। अ[illegible] को उक्त दोनों इन्तकालो का ज्ञान अब हुआ है अपीलार्थी पूर्ण तथा [illegible] है व पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर पेश है। अतः अपील पेश करके [illegible] कि न्याय हित में अपीलर्थी की अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं. 56 दिनांक 15.02.1996 ग्राम पंचायत सरदारपुरा पंचायत बाजूवाला व इन्तकाल नं. 50 दिनांक 15.02.1996 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

बीका निरस्त कर अपीलार्थी रेशी उर्फ छोटी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावें।

2 अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। ग्राम पंचायत से अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड कार्यवाही विवरण रजिस्टर तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 22 की तलबी रजि. सम्मन से करवाई गई। रेस्पोडेंट के न्यायालय में हाजिर नहीं आने पर उनकी पुनः सूचना बाबत पंजाब केसरी समाचार पत्र दिनांक 21 मई 2024 में सम्मन रेस्पोडेन्ट प्रकाशित करवाये। इसके उपरान्त भी रेस्पोडेंट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की तरफ से श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 5 मियाद अधि. का जवाब पेश किया कि अपीलार्थी ने मात्र अब ज्ञान होने का तथ्य वर्णित किया है। उसे अब कैसे व किससे ज्ञान हुआ व 27 सालों तक हुई देरी के संबंध में तारीख से तारीख पूरा ब्यौरा दर्ज नहीं किया न ही जिससे ज्ञान हुआ समर्थन में उसका कोई हल्फनामा पेश हुआ हैं रेस्पोडेंटस के नाम पते भी गलत दर्ज किये गये है जबकि अपीलार्थीया किश्ते भरने व कब्जा होने का कथन करती है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलार्थी व रेस्पोडेंटस के पति/पिता हेतराम व नानूराम एक ही माता की संतान है। अपीलार्थी व रेस्पोडेंटस ने आपसी सहमति व सहयोग से ही अपीलाधीन विरासतन इन्तकाल नं. 56 दिनांक 15.02.1996 व इंतकाल नं. 50 दिनांक 15.02.1996 दर्ज होकर स्वीकृत होकर अपीलार्थी व रेस्पोडेंटस के पति/पिता हेतराम व नानूराम को रकबा पर विरासतन हक-हकूक व अधिकार हासिल हुवे। अपीलार्थी का कथन कि उसे विरासतन इन्तकाल का ज्ञान अब होने पर नकल दिनांक 07.09.2022 व 08.09.2022 को प्राप्त अपील पेश की है, कतई मिथ्या वा झूठ पर आधारित है। चूंकि विरासतन इन्तकाल पक्षकारान की आपसी सहमति व रजामन्दी से दर्ज होकर स्वीकृत होने से अपीलार्थी को अपीलाधीन विरासतन इन्तकाल का भलीभांति प्रारंभ से ही ज्ञान व जानकारी रही स्वयं अपीलार्थी ने किश्ते भरने व कब्जा काश्त होने के कथन किये है। इस प्रकार अपीलार्थी सद्भावी नहीं है। इसके अलावा मियाद अधिनियम के अनुसार देरी होने की स्थिति पर देरी के कारणों का विवरण तारीख से तारीख का दिया जाना भी विधिक प्रावधानों के लिये आवश्यक होता है। जिसका भी अभाव है। अपीलार्थी अब अपनी ही गलती, लापरवाही, कोताही, आलस्य व लापरवाह स्वयं ही लाभ उठाना चाहती है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में अपीलार्थी धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्राप्ति का कतई विधिक अधिकारी नहीं होने से आवेदन नाकाबिल मानने के है। अपीलकृत दो इन्तकाल की एक अपील कानूनन पेश नहीं की जा सकती। कानूनन का लाभ प्राप्ति का कतई विधिक अधिकारी नहीं होने से आवेदन नाकाबिल मानने के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अपीलार्थी मय खर्चा खारिज करवाया जाकर खर्चा अदालती व विशेष हर्जाना अपीलार्थी से रेस्पोडेंट को दिलाया जावे। संबंधित ग्राम पंचायत से अपील इंतकाल रिकार्ड भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया। उक्त पत्र के संदर्भ में ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका ने अवगत करवाया कि इन्तकाल संख्या 56 निर्णय दिनांक 15.02.1996 चक 18 एसएडी का ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ रिकार्ड नहीं है। व ग्राम पंचायत हाजूवाला ने अपने पत्र क्रमांक ग्रा.प./2025-2026/08 दिनांक 15.04.2025 से अवगत करवाया कि चक 6 एनजेडब्ल्यू पारित इन्तकाल संख्या 50 दिनांक 15.02.1996 से संबंधित बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जो मुझे चार्ज के आदान-प्रदान में भी उक्त बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर प्राप्त नहीं हुआ।

3 वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी … में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश ग्राम … हुए इन्तकाल सं. 50 दिनांक 15.02.1996 … पंचायत …पुरा बीका का निरस्त करते हुए इन्तकाल सं. 56 दिनांक … किया है। इसी के साथ उक्त विवादित विरासतन इन्तकाल … राजस्व न्यायालय के प्रकरण संख्या 384/2023 अन्तर्गत … कुलकी निर्णय दिनांक 21.02.2024 पेश व 323 पेश किया। विवादित भूमि के विरासतन इन्तकाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही होकर तहसीलदार को था। उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की तरफ से अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि अपील अपीलार्थी का कब्जा नहीं है और अपील मियाद बाहर होने के बाद पेश की गई है अतः अपील अपीलार्थी मय खर्चा खारिज की जावे।

4. अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि के विरासतन इन्तकाल को लेकर उभयपक्ष में विवाद का कारण बिन्दू है विरासत से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करते हुऐ प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त को मध्य नजर रखते हुए विलम्ब अवधि को क्षमा करने लिए नरम रूख अपनाया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है। अपील धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विहित परिसीमा काल के पश्चात ग्रहण की जाती है अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 मियाद अधि. मय शपथ पत्र पेश कर जो कथन अंकित किये है उनकों दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाता है उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

—:आदेशः—

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अपील एवं प्राथना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बाजूवाला का इन्तकाल सं. 50 दिनांक 15.02.1996 व ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका का इन्तकाल सं. 56 दिनांक 15.02.196 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि चक 6 एनजेडपी के पं.नं. 215/364 के मु.नं. 12 की 6.009 है. व चक 18 एसएडी के पं.नं. 210/354 के मु.नं. 31 के 1.645 है. भूमि के विधिक वारिसान को पुनः सुनकर उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए समुचित जांच के उपरान्त पुनः निर्णय पारित करें। ग्राम पंचायत को मूल रिकार्ड लौटाया जावे।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:31:48 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner